20/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील उभय पक्षकारान की बहस T.I. सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बिन्दुवार दोहराया तथा वांछित अनुतोष चाहा गया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 7 के द्वारा भी उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार कथन किया कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है। राम कल्याण ने

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ने उक्त आराजी के पास की बंजर पड़ी हुई कृषि भूमि को स्वयं के नाम खरीद कर रा०मण्डी के प्रभावशाली व्यक्ति नरेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल जाति मेहतर निवासी रा० मण्डी के साथ मिलीभगत करके सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त बाडगात आराजी का सीमाज्ञान कम लिया है, तथा उन्हें बाडगात आराजी से बेदखल कर दिया है। प्रतिवादी सं० 7 महताब बाई पत्नि राधेश्याम चमार एक विधवा महिला है तथा पिछले लगभग 50 वर्षों से ही उक्त बाडगात आराजी पर कब्जा काश्त कर रही है। इस प्रकार भौतिक रूप से कब्जा काश्त इनका ही है। इन्होंने रेल्वे से रिटायर हुआ कर्मचारी है जिनको खातिर लिया है तथा इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। - हमने पक्ष वाद बहस पत्रावली का यथोपरांत अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब तथा अन्य दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र को हमारे द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के सुसंगत प्रावधानों के तहत तौला गया। जिसके अनुसार निम्न तथ्य है प्रथम दृष्टया प्रकरण :— वादग्रस्त भूमि ग्राम डेपाली खुर्द खाता सं. नया 472 पुराना 358 में स्थित ख. नं. 512 रकबा 0.01 हे०, किस्म गै० मु० चाह एवं ख. नं. 513 रकबा 1.28 हे० किस्म चाही III प्रमाणली में जमाबंदी संवत 2071-2074 अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 7 के खाते दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के हक में पाया जाता है। सुविधाओं का संतुलन :— दोनों ही प्रार्थी द्वारा हैता सत्य नारायण s/o भंवर लाल जाति मीणा निवासी ककवाला

(Sd/-)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तहसील खानपुर जिला झालावाड़
के भूमि खाता नं. 114 में स्थित
ख.नं. 479 रकबा 0.37 है0, ख.नं.
480 रकबा 0.56 है0 ख.नं. 481
रकबा 0.20 है0 कुल किता 3
की कुल रकबा 1.13 है0 वाके
ग्राम डेवली खुर्द क्रय की है,
परन्तु विक्रेता अप्रार्थी क्रय
क्रेता (प्रार्थी) को जिस भूमि
का कब्जा संभलाया है, वह
अप्रार्थीगण (1 लगायत 7) के
खाते दर्ज बागात भूमि ख.नं.
512 रकबा 0.01 किस्म गै0 मु0
चाह व ख.नं. 513 रकबा
1.28 है0 किस्म चाही था है।
जिस प्रार्थी वर्तमान में काबिज
काश्त है। अतः बागात भूमि
पर वर्तमान में प्रार्थी द्वारा ही
कब्जा काश्त करने से सुविधाओं
का संतुलन प्रार्थी के हक में
पाया जाता है।

अपूरणीय क्षति :-

प्रार्थी द्वारा बागात भूमि को
विक्रेता से क्रय करने के बाद
से ही वह उस पर कब्जा काश्त
करता आ रहा है। उक्त
भूमि को क्रय करने के बाद

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उसने बागान भूमि की मेड़बन्दी करवाई है, पत्थर कोट लगी करवाई है। कच्चे घाट को पक्का करवाया है। इस प्रकार उसने उस भूमि में अपना धन को लगाकर उपजाऊ और उपजाऊ बनाया है।
	चूंकि उक्त बागान भूमि बाजार रेकार्ड में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है जिसमें प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण कभी भी किसी भी प्रकार से प्रार्थी को उक्त बागान भूमि से बेदखल कर सकते हैं। और यदि प्रार्थी उक्त बागान भूमि से बेदखल हो जाता है तो फिर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।
	अतः सुविधाओं का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना होने के कारण यह न्यायालय द्वारा दिनांक 18/1/24 को प्रसारित अस्थाई आदेश को मूलवाद मि.नं. 1/2024 उनवान रामकल्याण बनाम भरत कुमार अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA 1955

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
एवं 136 L.R.A. 1956 के निर्णय पर्यन्त पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार कर [illegible] नम्बर से कम कर मूल वाद मि. नं. 1/2021 के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 20/02/2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी अनिल कुमार सिंघल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कोटा	